

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक:- मुसप्र/2024/188

दिनांक:- 27/06/24

कार्यालय आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, जयपुर व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर के अधीन मुख्यमंत्री जन आवास योजना, सेक्टर-3 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 03 अधिशेष फ्लैट्स को ई-बिड सबमिशन (बुधवार नीलामी) बिना छूट के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	फ्लैट संख्या	कुल
1.	मुख्यमंत्री जन आवास योजना	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	32-A-705, 32-B-211, 32-B-1207	03

उपरोक्त वर्णित कुल 03 अधिशेष फ्लैट्स को उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर द्वारा की गई अनुशंसा व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के आधार पर नीलामी से निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/ आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
- आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जाए।
- आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जाए।
- नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिकवाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
- आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जाए।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

Digitally Signed by Praveen Kumar Agarwal

Designation : Chief Estate Officer

Date: 2024.06.25 15:28:15 (प्रवीण कुमार अग्रवाल)

Reason: Approved मुख्य सम्पदा प्रबन्धक



Ref
769

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

Signature Not Verified

Digitally signed by Prajeen Kumar
Agarwal
Designation : Chief Estate Officer
Date: 2024.06.25 15:24:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
8221769

संयुक्त स्वागत